छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय रायपुर
महानदी भवन, नया रायपुर
//बैठक का कार्यवाही विवरण //

क्रमांक एफ 10–1/खाद्य/2016/29–2 /2001 रायपुर, दिनांक 30 मई, 2016.

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, छत्तीगढ़ शासन, वन विभाग
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग
3. सचिव, छत्तीगढ़ शासन, खाद्य विभाग
4. सचिव, छत्तीगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
5. सचिव, छत्तीगढ़ शासन, श्रम विभाग
6. संचालक, खाद्य संचालनालय
7. राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग
8. समस्त कलेक्टर, छ0ग0

विषयः– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के कियान्वयन में राज्य की सहभागिता के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 26.05.2016 की कार्यवाही विवरण ।

उपरोक्त विषयांर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 26.05.2015 को सम्पन्न हुई । कार्यचाही विवरण प्रति सचिव, छ0ग0 शासन खाद्य विभाग का पत्र कमांक एफ 10–1/खाद्य/2016/29–2, दिनांक 28.05. 2016 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। बैठक में लिये निर्णय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण ।

Secy. Borwp.

आवक क्रमांक 525
सचिव, श्रम विभाग
दिनांक 31.05.16 2015

(अरूण कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

निरंतर.........

पृ0कमांक एफ 10–1/खाद्य/2016/29–2 |2002
प्रतिलिपि :–

रायपुर, दिनांक 30 मई, 2016

1. निज सहायक, विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नया रायपुर ।

2. निज सहायक, संयुक्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नया रायपुर ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक एफ-10-1/खाद्य/2016/29-2 नया रायपुर, दिनांक 28/05/2016

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 26.05.2016 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक–01** पर संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 10 लाख नए हितग्राहियों को रुपये 200 में एलपीजी कनेक्शन देने हेतु तीनों ऑयल कंपनियों के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा राज्य में गैस सिलिण्डरों की पर्याप्त उपलब्धता, एलपीजी बॉटलिंग की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के साथ–साथ चूल्हा एवं रिफिलिंग की भी समुचित तैयारी होने की जानकारी दी गई। उनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को कनेक्शन देने के लिए चूल्हा एवं रिफिलिंग में कोई समस्या नही होने तथा यह कार्य सुगमता से पूर्ण होने की जानकारी दी गई।

बैठक में चर्चा उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य अनुसार नवीन गैस कनेक्शन हेतु आवश्यकतानुसार चूल्हा एवं रिफिलिंग की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

(कार्यवाही – राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग)

2. सहकारिता विभाग द्वारा कम से कम 500 सहकारी समितियों का चिन्हांकन कर एलपीजी वितरक लायसेंस के लिए सूची खाद्य विभाग को उपलब्ध करायी जावे।

(कार्यवाही – सहकारिता विभाग)

3. योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राज्य में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लैम्पस को एलपीजी का संस्थागत वितरक नियुक्त करने तथा ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के अंतर्गत इन संस्थाओं को वितरक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का प्रस्ताव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को अविलंब भेजा जावे।

(कार्यवाही – खाद्य विभाग)

4. राज्य में एलपीजी वितरकों की जीआईएस मैपिंग के आधार पर एलपीजी आपूर्ति की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन कर विकासखण्डवार वितरकों की नियुक्ति का प्रस्ताव ऑयल कंपनियों को तत्काल उपलब्ध कराया जावे।

(कार्यवाही – संचालक, खाद्य)

5. योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चिन्हांकन सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अंतर्गत 7 अपवंचन सूचकों में से किसी भी एक सूचकांक का उपयोग कर किया जावेगा। SECC 2011 के आंकड़े जिला कलेक्टर से संपर्क कर ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त किया जावे। SECC 2011 के ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अपवंचन सूचकांक के आधार पर शामिल बीपीएल परिवारों की संख्या 32.91 लाख है, जिनमें से योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जावे। इस संख्या में स्वतः शामिल सूचकांक में शामिल परिवार भी सम्मिलित हैं।

(कार्यवाही – राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग)

6. योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार आवेदक से बैंक खाता तथा आधार नंबर की जानकारी प्राप्त की जावे तथा इस कार्य हेतु किसी अन्य योजना में आवेदक की उपलब्ध बैंक खाता तथा आधार नंबर की जानकारी का उपयोग नही किया जावे ।

(कार्यवाही – राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग)

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर संचालक खाद्य द्वारा राशि के संधारण हेतु पृथक बैंक खाता खोला जावेगा। ऑयल कंपनियों की मांग अनुसार इस खाते से राशि जारी की जावेगी।

(कार्यवाही – संचालक, खाद्य)

8. वन विभाग द्वारा कैम्पा फंड से 47 करोड़ रूपये पूल फंड के रूप में संचालक खाद्य के खाते में जमा कराया जावेगा। इसके पश्चात् राज्य के वन क्षेत्र के इलाकों में जारी कनेक्शन के आधार पर वन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

(कार्यवाही – वन विभाग)

9. राज्य में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 4.50 लाख है, तथा इन्हे योजनांतर्गत एलपीजी कनेक्शन देने हेतु आवश्यक राशि संचालक खाद्य के प्रस्ताव के आधार पर श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

(कार्यवाही – संचालक, खाद्य, श्रम विभाग)

10. जिला खनिज फंड की राशि कलेक्टर के अधीन जिले में उपलब्ध है तथा योजनांतर्गत प्रत्येक जिले में जारी एलपीजी कनेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए संचालक खाद्य द्वारा इस फंड से राशि की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव कलेक्टर को उपलब्ध कराया जावेगा तथा कलेक्टर द्वारा राशि संचालक खाद्य के खाते में जमा करायी जावेगी।

(कार्यवाही – संचालक, खाद्य, समस्त कलेक्टर)

11. एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग से राज्य के पर्यावरण पर अनुकूल असर पड़ेगा। अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु संचालक, खाद्य के मांग पर आवश्यकतानुसार राशि राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जावे।

(कार्यवाही – संचालक, खाद्य, पर्यावरण विभाग)

12. योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था की प्रक्रियाओं के निर्धारण हेतु खाद्य विभाग के प्रस्ताव अनुसार सचिव, खाद्य विभाग की अध्यक्षता में सब–कमेटी का गठन किया जावे।

(कार्यवाही – खाद्य विभाग)

13. समस्त प्रचार माध्यमों के जरिए योजना के प्रचार–प्रसार के लिए ऑयल कंपनियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही – राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल उद्योग)

14. आवेदन प्राप्त करने एवं एलपीजी कनेक्शन वितरण के लिए समस्त जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन कर कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही – राज्य स्तरीय समन्वयक, खाद्य विभाग, समस्त कलेक्टर)

15. उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु खाद्य विभाग के बजट में प्रथम अनुपूरक में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान कराया जावे।

(कार्यवाही – खाद्य विभाग)

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक–1

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण् की सूची

1. श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय सशक्त समिति।
2. श्री एम.के. राऊत, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, ग्रामीण एवं पंचायत विकास तथा श्रम विभाग।
3. श्री बैजेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग।
4. श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग।
5. श्री संजय शुक्ला, सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
6. श्री अमित अग्रवाल, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
7. श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य, ना.आ. एवं उप. संर. विभाग।
8. श्रीमती इफ्फत आरा, उप सचिव, छ.ग. शासन, प्रतिनिधि खनिज साधन विभाग।
9. श्री डी.डी. सिंह, सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग।
10. श्री राजामुनि ताम्रकार, राज्य समन्वयक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज।